"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 212] रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 अगस्त 2010—श्रावण 11, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त, 2010 (श्रावण 11, 1932)

क्रमांक-8691/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 23 सन् 2010), जो दिनांक 2 अगस्त, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 23 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2010

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक [illegible] सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

नयी धारा 30-क का अंत:स्थापन.

2. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ([illegible] सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 30 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

30-क (1) कोई भी आवेदक अनुमोदित अभिन्यास योजना में संशोधन, परन्तु ऐसा संशोधन विकास योजना के अनुरूप हो, के लिए संचालक को ऐसी रीति में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए, जो धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन सशर्त जारी आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से अनुज्ञात समयावधि के भीतर है.

(2) संचालक को आवेदन प्रस्तुत करते समय, उन समस्त कारणों जिनके लिए संशोधन चाहा गया है का उल्लेख किया जायेगा.

(3) संचालक ऐसे आवेदन के प्रस्तुत होने पर, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए यथोचित आदेश पारित कर सकेगा.

धारा 31 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(1) कोई भी आवेदक, जो धारा 30 के अधीन सशर्त अनुज्ञा देने वाले या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाले या धारा 30-क के अधीन संशोधन करने वाले किसी आदेश से व्यथित हो, तो उस आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से तीस दिवस के भीतर अपील, ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के साथ, प्रस्तुत कर सकेगा, जैसा कि विहित किया जाये.

धारा 33 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 33 में प्रथम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"ऐसी प्रत्येक अनुज्ञा, जो धारा 30 या धारा 30-क या धारा 31 या धारा 32 के अधीन दी गई हो, उसके ऐसे दिये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी और उसके पश्चात् यह व्यपगत हो जायेगी".

धारा 36 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 36 के उपखंड (घ) के अंतिम पैरा के पश्चात् निम्नानुसार पैरा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"किसी भी ऐसी कार्यवाही पर जो कि धारा 37 के अधीन की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना साधारण कारावास से जिसकी अवधि छ: माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो न्यूनतम दस हजार रुपये तक या दोनों से, और चालू रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो अपराध के प्रथम बार

किए जाने के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध चालू रहे, एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा एवं अनाधिकृत विकास की ऐसी सम्पत्ति को राजसात् किया जा सकेगा".

6. मूल अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) एवं खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा (1) एवं खंड (क) प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :— **धारा 37 का संशोधन.**

(1) जहां कोई विकास धारा 36 में उपदर्शित अनुसार कार्यान्वित किया गया हो, वहां संचालक स्वामी पर ऐसी कालावधि के भीतर जो सूचना की तामील की तारीख से एक सप्ताह से कम तथा तीन सप्ताह से अधिक न हो, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, उसकी अपेक्षा करते हुए, सूचना की तामील कर सकेगा;

(क) धारा 36 के खंड (क) या (ग) में विनिर्दिष्ट किए गए मामले में, भूमि के अवैध विकास को बंद करना एवं उस स्थान में उक्त विकास के किए जाने के पूर्व विद्यमान अवस्था में भूमि को प्रत्यावर्तित करना;

7. मूल अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

(5) यदि वह अनुज्ञा जिसके लिए आवेदन किया गया है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना द्वारा विहित शमन शुल्क जमा किए जाने पर स्वीकृति दी जाती है तो सूचना प्रत्याहृत हो जाएगी; किन्तु यदि स्वीकृति नहीं दी जाती है, तो सूचना प्रवृत्त रहेगी, या यदि ऐसी अनुज्ञा केवल कुछ भवनों या संकर्मों को बनाए रखे जाने के लिए या भूमि के केवल किसी भाग का उपयोग या भूमि के विकास को बनाए रखे जाने के लिए दी जाती है, तो सूचना ऐसे भवनों या संकर्मों या भूमि के ऐसे भाग के संबंध में यथास्थिति प्रत्याहृत हो जाएगी, तथा तदुपरांत ऐसे अन्य भवनों, संकर्मों या भूमि के भाग के संबंध में स्वामी से अपेक्षा की जायेगी कि वह उपधारा (1) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कदम उठाये.

8. मूल अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

(7) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (6) के खंड (क) के अधीन अभियोजित किया गया हो, दोषसिद्ध होने पर, साधारण कारावास से, जिसकी अवधि छः माह तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो न्यूनतम दस हजार रुपये तक या दोनों से, और चालू रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो अपराध के प्रथम बार किए जाने के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध चालू रहे, एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा.

9. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :— **धारा 50 का संशोधन.**

(5) जहां नगर विकास योजना, प्लाटों के पुनर्गठन से संबंधित हो, वहां नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के अधीन प्राप्त हुई आपत्तियों तथा सुझावों की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिये, एक समिति गठित करेगा, जिसमें उक्त प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा दो अन्य सदस्य होंगे, जिनमें से एक सदस्य जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि होगा, जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न श्रेणी का न हो तथा दूसरा सदस्य, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नामांकित नगर तथा ग्राम निवेश विभाग का अधिकारी होगा, जो उप संचालक से निम्न श्रेणी का न हो.

10. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

(8) (एक) जहां नगर विकास योजना, प्रवर्तन में आयी है, वहां निम्नलिखित खण्डों :—

(क) नई गलियों अथवा सड़कों का अभिन्यास, निर्माण, व्यपवर्तन, विस्तार, परिवर्तन, सुधार तथा गलियों तथा सड़कों का समापन एवं संसूचनाओं के विच्छेदन इत्यादि;

(ख) जल निकास, जलमल व्यवस्था सहित सतही या अधोभूमि जल निकास तथा मल वहन;

(ग) विद्युत व्यवस्था;

(घ) पेयजल आपूर्ति;

में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित समस्त भूमियां, सभी प्रकार के ऋण भारों से मुक्त होकर नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण में पूर्णत: निहित हो जाएगी.

(दो) उपधारा (एक) में दी गई कोई भी बात, उस उपधारा के अधीन समुचित प्राधिकारी में निहित होने वाली भूमि के स्वामित्व के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी.

निरसन एवं व्यावृत्ति. 11. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (क्र. 1 सन् 2010) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

परन्तु यह निरसन, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के पूर्व प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा जैसे कि यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ था.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ राज्य में तीव्रगति से हो रहे शहरीकरण एवं नगरीय विकास के संदर्भ में अनाधिकृत विकास के नियमन एवं नगर विकास योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिये छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की कतिपय धाराओं में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है.

अनाधिकृत विकास पर कड़े प्रतिबंध लगाने एवं विकास योजना एवं क्षेत्रीय योजनाओं में संशोधन के दृष्टिकोण से उक्त अधिनियम में एक नई धारा 30-क को अंत:स्थापित एवं धारा 31, धारा 33, धारा 36 एवं धारा 37 के प्रावधानों में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है.

इसके अतिरिक्त नगर विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से अधोसंरचनात्मक सेवाओं के लिये भूमि के हस्तांतरण प्रक्रिया को सरल करने के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 50 (5) में संशोधन एवं नई धारा 50 (8) को अंत:स्थापित करना आवश्यक है.

चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अत: नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (वर्ष 2010 का क्रमांक-1) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अत: यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान मंडल का विधेयक लाया जाए.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

तारीख 29 जुलाई, 2010

राजेश मूणत
आवास एवं पर्यावरण मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2010 के खंड 2 एवं 7 में विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन की व्यवस्था है जिसके तहत् अनुमोदित अभिन्यास योजना में संशोधन हेतु प्रारूप विहित करते हुए तथा शमन शुल्क की राशि निर्धारित करते हुए छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 में राज्य शासन द्वारा जो संयोजन/संशोधन किये जायेंगे, वे सामान्य स्वरूप के होंगे.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 31 (1), 33, 36 (घ), 37 (1) एवं खंड (क), 37 (5) एवं (7) एवं 50 (5) का सुसंगत उद्धरण :—

31 (1) कोई भी आवेदक, जो धारा 30 के अधीन सशर्त अनुज्ञा देने वाले या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाले किसी आदेश से व्यथित हो, उस आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर अपील, ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के साथ प्रस्तुत कर सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए.

* * * * * * * * * * * * * *

33 "ऐसी प्रत्येक अनुज्ञा, जो धारा 31 या धारा 32 के अधीन दी गई हो, उसके ऐसे दिये जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी और उसके पश्चात् यह व्यपगत हो जायेगी".

* * * * * * * * * * * * * *

36 "किसी भी ऐसी कार्यवाही पर जो कि धारा 37 के अधीन की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सादा कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, और चालू रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो अपराध के प्रथम बार किए जाने के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध चालू रहे, दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा".

* * * * * * * * * * * * * *

37 (1) जहां धारा 36 में यथा उपदर्शित कोई विकास कार्यान्वित किया हो, वहां संचालक स्वामी पर सूचना तामील कर सकेगा, जिसमें उससे यह अपेक्षा की जायेगी की वह ऐसी कालावधि के भीतर जो सूचना की तामील की तारीख से एक मास से कम तथा तीन मास से अधिक न हो, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाए.

(क) उन मामलों में, जो कि धारा 36 खंड (क) या (ग) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, भूमि को उसकी उस अवस्था में प्रत्यावर्तित करें, जो कि उक्त विकास के लिए किये जाने के पूर्व थी.

* * * * * * * * * * * * * *

37 (5) यदि वह अनुज्ञा, जिसके लिए आवेदन किया गया है, दे दी जाती है तो सूचना प्रत्याहृत हो जाएगी; किन्तु यदि वह अनुज्ञा जिसके लिये आवेदन किया गया है, नहीं दी जाती है, तो सूचना प्रवृत्त रहेगी, या यदि अनुज्ञा केवल कुछ भवनों या संकर्मों के बनाए रखे जाने के लिए या भूमि के केवल किसी भाग का उपयोग रखने के लिये की जाती है तो सूचना ऐसे भवनों या संकर्मों के बारे में या भूमि के ऐसे भाग के बारे में प्रत्याहृत हो जाएगी, किन्तु यथास्थिति अन्य भवनों या संकर्मों के बारे में प्रवृत्त रहेगी और तदुपरि स्वामी इस बात के लिये अपेक्षित किया जायेगा कि वह ऐसे अन्य भवनों, संकर्मों या भूमि के भाग के बारे में उपधारा (1) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट की गई कार्यवाही करें.

(7) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा 6 के खंड (क) के अधीन अभियोजित किया गया हो, दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से और चालू रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो अपराध के प्रथम बार किए जाने के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसके दौरान अपराध चालू रहे, दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा.

* * * * * * * * * * * * * *

50 (5) जहां नगर विकास-स्कीम प्लाटों के पुनर्गठन से संबंधित हो, वहां नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, उपधारा (4) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी उपधारा (3) के अधीन प्राप्त हुई आपत्तियों तथा सुझावों की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिये एक समिति गठित करेगा, जिसमें उक्त प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी तथा दो अन्य सदस्य, जिनमें से एक सदस्य छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का प्रतिनिधि तथा दूसरा सदस्य मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया लोक निर्माण विभाग का ऐसा अधिकारी होगा, जो कार्यपालिक इंजीनियर के पद से निम्न पद का न हो, होंगे.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.